विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/1287 दिनांक : 24/5/17

प्रति,

प्राचार्य,
श्री जी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,
महू–नीमच बायपास रोड़,
मंदसौर(म.प्र.)।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/124,दिनांक 30.03.2017

शिक्षा सत्र 2017–18 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/सम्बद्धता/संबद्धता –निरंतरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,से प्राप्त अनुमति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–प्रथम वर्ष	100

शर्तें :–

1. नवीन महाविद्यालय में मल्टीपरपस एक्टीविटी हाल एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। छात्रों के लिये महाविद्यालय परिसर में स्थित अन्य भवन (नर्सिंग कॉलेज) में इसकी व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय उपरोक्त लिखित इन कक्षों का निर्माण यथा शीघ्र पूर्ण करें।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3)(1) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रू 25,000/– (अक्षरी पच्चीस हजार रूपये मात्र),की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें,अन्यथा अस्थाई सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02